1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

परियोजना का औचित्य

JUSTIFICATION FOR THE PROPOSAL (परियोजना का औचित्य)

शासनादेश संख्या 429/111(2)/16–58 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2016 द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य 6.00 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 83.76 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वास्तविक सर्वे के अनुसार लम्बाई 6.00 किमी0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

प्रस्तावित सड़क संरेखन डंगोली–स्याली–छटिया–हरिनगरी–कुलाऊॅ–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 2.00 के है0मी0 8–10 से प्रारम्भ होता है एवं 6.00 किमी0 की लम्बाई के पश्चात मनाखेत से आगे जंगल के मध्य में समाप्त होता है। जनपद का अधिकांश क्षेत्र दूरस्थ होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्राम स्याली, इड़िया एवं मनाखेत की जनता को जिला मुख्यालय बागेश्वर एवं विकास खण्ड गरूड़ आदि जगहों जाने आने में सुविधा होगी। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9.00 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 1.763 है0 वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के कुल 349 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5–6 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] (उज्यूला)